।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yanoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 167 /12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 12/07/ 2019।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
एन0पी0सी0सी0
कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत थराली से पैनगढ़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.812 है0 वन भूमि (online Proposal No. FP/UK/Road/20189/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र सं0 08 बी/यू0सी0पी0/06/54/2019/एफ0सी0/704 दिनांक 02.07.2019 से सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की गयी है। डिमाण्ड मांग पत्र वित्तीय वर्ष 2019–20 की दर से निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

1. शर्त संख्या–1 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.624 है0 ग्राम–पनगढ़ सिविल एवं सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि रू0 3,06,531.00 प्रति है0 से कुल धनराशि रू0 29,50,054.00 (रू0 उन्नतीस लाख पचास हजार चौवन) मात्र जमा की जायेगी।

क्र0सं0.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल(है0)	दर प्रति है0	कुल धनराशि
1	2	3	4
1.	9.624	3,06,531.00	29,50,054.00

2. शर्त सं0 2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पयावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में निर्धारित दरों के अनुसार रू0 8,45,000.00 की दर से कुल धनराशि रू0 40,66,140.00(रू0 चालीस लाख छियासठ हजार एक सौ चालीस) मात्र जमा की जायेगी।

3– शर्त सं0 3 के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने की बचनवद्वता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4– शर्त सं0–4 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त सं0 01 एवं शर्त सं0 02 में दी गई धनराशि का भुगतान Online Portal पर online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए।

5– शर्त सं0 5 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारो तथा CentralVerge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख मे Strip planation की जायेगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।

अतः आप उक्त डिमाण्ड मांग पत्र को ऑन लाइन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाइन जनरेट चालान से ही धनराशि AD-hoc कैम्पा में जमा करते हुए सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नको सहित तीन–तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को अग्रत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 167 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

O/C

Scanned by CamScanner